महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)

कार्यवृत्त

विद्या-परिषद् की चौथी बैठक

14 जुलाई 2005

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नयी दिल्ली

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद् की चौथी बैठक

कार्यवृत

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की चौथी बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 14 जुलाई 2005 को सुबह 11:00 बजे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नयी दिल्ली के सभा-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

1)	प्रो. जी. गोपीनाथन	:	अध्यक्ष
2)	श्रीमती मृदुला गर्ग	:	सदस्य
3)	डा. एस. तंकमणि अम्मा	:	सदस्य
4)	श्री बालकृष्ण पिल्लई	:	सदस्य
5)	डा. रामदयाल मुण्डा	:	सदस्य
6)	श्री मधु मंगेश कर्णिक	:	सदस्य
7)	प्रो. कमलेश दत्त त्रिपाठी	:	सदस्य
8)	श्री गोविंद मिश्र	:	सदस्य
9)	प्रो. इंद्रनाथ चौधुरी	:	सदस्य
10)	प्रो. प्रभाकर श्रोत्रिय	:	सदस्य
11)	प्रो. टी. आर. भट्ट	:	सदस्य
12)	प्रो. राम गोपाल गुप्ता	:	सदस्य
13)	डा. राम कृपाल तिवारी	:	पदेन सचिव

अन्य सदस्य – श्रीमती माजिदा असद, श्रीमती इन्दिरा गोस्वामी, प्रो. राम गोपाल बजाज, श्री एस. आर. फारूकी और प्रो. उदय नारायण सिंह पूर्व प्रतिश्रुत होने के कारण उपस्थित न हो सके।

नोट किया गया कि डा. दयाकृष्ण, डा. यू.आर. अनन्तमूर्ति और डा. अशोक आर. केलकर के अलावा प्रो. बी. ए. प्रभाकर बाबू और डा. नबनीता देव सेन ने अस्वस्थ होने तथा अन्य कारणवश विद्या-परिषद् की सदस्यता से अपना त्याग-पत्र दिया है।

तदुपरांत कार्यसूची में दिये गये विषयों पर विचार-विमर्श के बाद लिए गए निर्णयों का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है :

मद सं. 1 विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक के कार्यवृत की पुष्टि :

कार्यवृत मद संख्या 3 में निम्न संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया :

एम.ए. (जनसंचार माध्यम एवं सम्प्रेषण), एम.ए. (स्त्री अध्ययन) तथा एम.ए. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) के संशोधित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन : *लिए गए निर्णय में इस उक्ति को संशोधन किया गया कि पाठ्यक्रम राजभाषा आयोग की शब्दावली के अनुसार हों के स्थान पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अनुसार हों और पाठ्यक्रम द्विभाषी के स्थान पर केवल हिन्दी में ही हों।*

मद सं. 2 विद्या-परिषद् की विशेष बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

विद्या-परिषद् ने कार्यवृत का अनुमोदन किया।

मद सं. 3 विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में की गई कार्यवाई :

विद्या-परिषद् ने तीसरी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में की गई कार्रवाई का अनुमोदन किया। यह भी नोट किया गया कि तीसरी विशेष बैठक में गणपूर्ति के मद्देनजर विषय विशेषज्ञों की नामिका की सूची विषय को चौथी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

मद सं. 4 शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति के लिए विषय विशेषज्ञों की नामिका पर निर्णय :

विद्या-परिषद् ने इस सूची में कोई नया नाम न जोड़ते हुए पिछली विशेष बैठक में लिए निर्णयानुसार यथावत् इसे अनुमोदित किया।

मद सं. 5 अकादमिक अध्यादेशों को कार्य-परिषद् के सुझावानुसार संशोधन के बाद स्वीकृति :

विद्या-परिषद् ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्या-परिषद् द्वारा तीसरी बैठक में अध्यादेश के अंग्रेजी प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, उक्त प्रारूप में कार्य-परिषद् के निम्नांकित सुझावों का अवलोकन कर उन्हें सहमति प्रदान की :

1) एक्स सर्विसमेन के स्थान पर डिफेन्स से सेवानिवृत्त कर्मचारी लिखा जाये।
(पृष्ठ–6, संदर्भित पैरा–1.4.4)

2) विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आगे विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 25 के स्थान पर 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये।
(पृष्ठ–7, संदर्भित पैरा–1.4.7)

3) किसी भी विद्यार्थी को दो नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश न दिया जाये – इस उक्ति में नियमित के स्थान पर पूर्णकालिक (*Full Time*) पाठ्यक्रम लिखा जाये।
(पृष्ठ–8, संदर्भित पैरा–1.5)

विद्या-परिषद् ने उपर्युक्त संशोधन के साथ-साथ पृष्ठ–17 पर उल्लेखित उक्ति में यह संशोधन भी करने का निर्णय लिया कि अध्ययन–अध्यापन तथा परीक्षा का माध्यम केवल हिन्दी होना चाहिए।

(पृष्ठ–17, संदर्भित पैरा–1.4.4)

विद्या-परिषद् की पहली बैठक के परीक्षा संबंधी एवं प्रवेश शुल्क संबंधी जो अध्यादेश पास हुए हैं, उनके आलोक में प्रस्तुत अध्यादेश पर विचार कर आवश्यक संशोधन किए गए जिसके अनुसरण में संशोधित अध्यादेश की प्रति संलग्न है।

तदुपरांत सर्वसम्मति से विद्या-परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिन्दी विश्वविद्यालय के स्वरूप के मद्देनजर अध्यादेश केवल हिन्दी में ही होना चाहिए और उसके बाद ही इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना चाहिए, अतः विद्या-परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अध्यादेश का अनुमोदन करते हुए यह सुझाव दिया कि आगे मौलिक रूप से हिन्दी में ही अध्यादेश प्रस्तुत किया जाये।

मद सं. 6 **भाषा-केन्द्र में शोधरत छात्रा को पी-एच.डी. उपाधि देने के संदर्भ में निर्णय :**

विद्या-परिषद् ने पूरे तथ्यों के आलोक में यह निर्णय लिया कि इस संदर्भ में कुलपति कुछ विशेषज्ञों की एक समिति गठित करें जो इसके वैधानिक एवं अन्य सभी पहलूओं को देखते हुए अपनी अनुशंसाएँ दे। इन अनुशंसाओं को विद्या-परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाये।

मद सं. 7 **दूर शिक्षा के अन्तर्गत प्रस्तावित 'अनुवाद प्रौद्योगिकी' में एकवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा 'जनसंचार माध्यम' में एकवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम वर्ष 2006 से आरंभ करने का अनुमोदन :**

विषय विशेषज्ञों की राय लेकर संशोधित पाठ्यक्रम अगली बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

मद सं. 8 **विश्वविद्यालय में चल रहे नियमित पाठ्यक्रमों – एम.ए. हिन्दी (तुलनात्मक साहित्य), एम.ए. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) एवं एम.ए. (स्त्री अध्ययन) तथा कुछ नये स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को दूर शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2007 से शुरू करने का प्रस्ताव :**

विद्या-परिषद् ने तीसरी बैठक में दूर शिक्षा के तहत बी.ए. पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम अभी शुरू न किए जाने का निर्णय लिया।

सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि दूर शिक्षा के अन्तर्गत पाँच केन्द्रों – दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में 'अनुवाद प्रौद्योगिकी' एवं 'जनसंचार माध्यम' विषयों में दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम ही अभी आरंभ किए जायें।

इसके साथ-साथ विश्वविद्यालय में चल रहे एम.ए. हिन्दी (तुलनात्मक साहित्य), एम.ए. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) और एम.ए. (स्त्री अध्ययन) विषयों के पाठ्यक्रमों को दूर शिक्षा के अन्तर्गत भी 2007 से शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

मद सं. 9 **भदंत आनंद कौशल्यायन बौद्ध साहित्य अध्ययन पीठ की स्थापना का प्रस्ताव :**

इस संदर्भ में पूर्ण विवरण के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

बैठक की समाप्ति कुलपति को सदस्यों द्वारा धन्यवाद देने और कुलपति द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने से हुई।

जी गोपीनाथन 2/8/05

(प्रो. जी. गोपीनाथन)
अध्यक्ष : विद्या-परिषद् एवं कुलपति,
महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा